EPFO 3.0 का प्रस्तावित यूनिवर्सल पेंशन

20 नवंबर 2026 अपडेट: EPF बचत से स्वैच्छिक नियमित निकासी को CBT की मंजूरी

19 नवंबर 2026 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक ने सेवानिवृत्त EPF सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सदस्य एकमुश्त निकासी के बजाय मासिक, त्रैमासिक या छमाही किस्तें चुन सकेंगे; सुविधा स्वैच्छिक होगी और बचा कोष रिटर्न कमाता रहेगा। पात्र परिजनों/लाभार्थियों तक सुविधा बढ़ाने का विकल्प भी है।

बोर्ड ने न्यूनतम PF शेष की शर्त 25% से 10% और अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से 2 महीने करने को भी मंजूरी दी। PIB के अनुसार SWP के लिए आवश्यक EPF योजना-संशोधन मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचित किए जाएंगे; संबंधित आयकर संशोधन वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जा रहा है। इसलिए CBT की मंजूरी का अर्थ तत्काल लागू निकासी-सुविधा नहीं है।

पुराने प्रस्ताव से अंतर: यह EPF सदस्यों की जमा बचत से निकासी का नया बोर्ड-निर्णय है। इससे नीचे वर्णित सभी श्रमिकों के लिए प्रस्तावित सार्वभौमिक अंशदायी पेंशन ढाँचे के पूरी तरह लागू होने का निष्कर्ष नहीं निकलता।

स्रोत: PIB

अर्थव्यवस्था, श्रम और सामाजिक सुरक्षा | समाचार संदर्भ: 21 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

सेवानिवृत्ति-कोष संगठन (EPFO) अपने 3.0 सुधार-चरण में एक सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) अंशदायी पेंशन योजना तैयार कर रहा है — जिसमें असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक को पहुँचने का प्रस्ताव है। जुलाई 2026 की प्रमुख रिपोर्टों और सितंबर 2026 की अनुवर्ती रिपोर्टिंग के अनुसार श्रम मंत्रालय ने संकल्पना-नोट (concept note) तैयार कर लिया है; विस्तृत ढाँचा अभी बन रहा है।

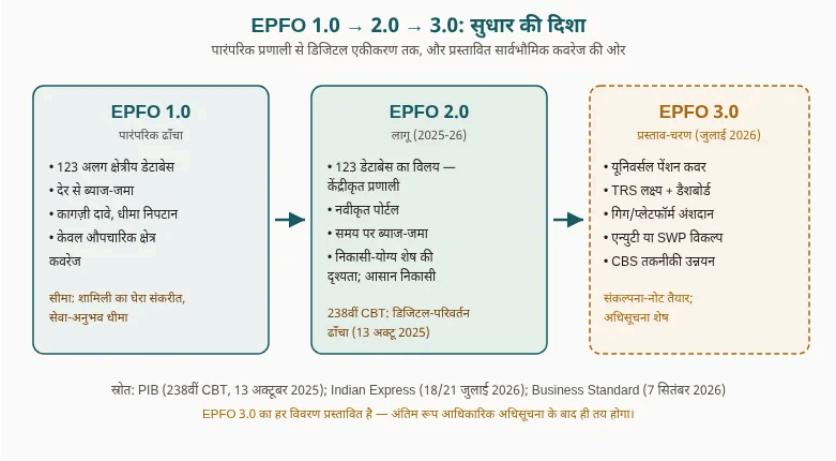
खबरों में क्यों

इंडियन एक्सप्रेस (18 जुलाई 2026) ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से खुलासा किया कि सरकार असंगठित और औपचारिक क्षेत्र — दोनों श्रमिकों के लिए EPFO के तहत एक नई अंशदायी पेंशन योजना बना रही है, जिसका केंद्र 'टारगेट रिटायरमेंट सम' (TRS) होगा। 21 जुलाई के विश्लेषण के अनुसार EPFO 3.0 के तीन स्तंभ हैं: सभी श्रमिकों को पेंशन-कवर (एन्युटी या सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल विकल्प के साथ), असंगठित/गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पहली बार सामाजिक-सुरक्षा अंशदान, और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) पर आधारित तकनीकी उन्नयन। बिज़नेस स्टैंडर्ड (7 सितंबर 2026) के अनुसार श्रम मंत्रालय ने संकल्पना-नोट तैयार कर लिया है और विस्तृत ढाँचे पर काम चल रहा है। ध्यान दें: 17 अक्टूबर 2026 की जाँच तक इस योजना की कोई आधिकारिक अधिसूचना/दस्तावेज़ उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिली — यह प्रस्ताव-चरण की योजना है, लागू योजना नहीं।

TRS: 'टारगेट रिटायरमेंट सम' क्या है?

Target Retirement Sum (TRS) एक सेवानिवृत्ति-लक्ष्य प्रणाली है: सदस्य अपनी आयु, सेवानिवृत्ति-आयु और वांछित पेंशन के आधार पर लक्ष्य-कोष तय करेगा, और सिस्टम उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आवश्यक अंशदान का अनुमान दिखाएगा — डैशबोर्ड पर प्रगति भी दिखेगी। 60 वर्ष की आयु पर जमा कोष को उस समय की एन्युटी/ब्याज दरों पर पेंशन में बदला जा सकेगा, या EPFO के पास रखकर सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल लिया जा सकेगा। संचय-चरण मौजूदा EPFO मॉडल जैसा होगा: वार्षिक ब्याज और समान कर-उपचार; अंशदान की आवृत्ति लचीली (हर माह निश्चित राशि अनिवार्य नहीं)।

PCS MANTRA



EPFO की सुधार-यात्रा: डिजिटल एकीकरण (2.0) के बाद प्रस्तावित सार्वभौमिक पेंशन-कवरेज (3.0) — अभी प्रस्ताव-चरण में।

मुख्य तथ्य

सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य: 60 करोड़ से अधिक श्रमिक, जिनमें तीन-चौथाई से अधिक असंगठित क्षेत्र में — मौजूदा EPFO सदस्यों के साथ-साथ वे भी जो EPS से बाहर रह गए; गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पहली बार अंशदान-आधारित कवरेज।

बहु-स्रोत अंशदान: केवल श्रमिक ही नहीं — नियोक्ता, निम्न-आय वर्ग के लिए सरकारी सह-अंशदान, गिग/प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर, CSR कार्यक्रम, NGO और अन्य तृतीय-पक्ष भी खाते में अंशदान कर सकेंगे; स्वैच्छिक अंशदान का विकल्प भी विचाराधीन।

परिभाषित अंशदान (DC) ढाँचा: EPS की परिभाषित-लाभ (पेंशनयोग्य वेतन + सेवा-अवधि) प्रणाली से अलग — यह परिभाषित-अंशदान मॉडल होगा: जमा राशि + ब्याज = कोष, फिर 60 पर एन्युटी या सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल।

लचीली निकासी: प्रस्ताव में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन घटाने-बढ़ाने की सुविधा: शुरुआती वर्षों में अधिक निकासी, बाद में कम — शेष कोष ब्याज अर्जित करता रहे।

EPFO 2.0 की नींव तैयार: पिछले एक वर्ष में EPFO 2.0 ने 123 क्षेत्रीय डेटाबेस मर्ज कर केंद्रीकृत प्रणाली बनाई — समय पर ब्याज-जमा और निकासी-योग्य शेष की दृश्यता; 3.0 का CBS-उन्नयन इसी पर खड़ा होगा।

आधिकारिक नींव: 238वीं CBT: 13 अक्टूबर 2025 की केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक (PIB) ने 'EPFO 3.0' के तहत सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन ढाँचा स्वीकार किया; आंशिक निकासी के 13 प्रावधान एक नियम में मर्ज, 100% योग्य शेष निकासी, न्यूनतम सेवा 12 माह; 'विश्वास योजना' (दंड-क्षतिपूर्ति मुकदमेबाजी घटाने) और EPFO-IPPB डोरस्टेप जीवन-प्रमाणपत्र भी।

यह प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है

सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा अंतर: भारत के 60 करोड़+ श्रमिकों में से तीन-चौथाई असंगठित हैं — वृद्धावस्था-आय सुरक्षा से बाहर। एक यूनिवर्सल अंशदायी ढाँचा इस संरचनात्मक अंतर को भरने का पहला बड़ा संस्थागत प्रयास होगा।

गिग-अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण: एग्रीगेटर-अंशदान का प्रस्ताव प्लेटफॉर्म-श्रम को सामाजिक-सुरक्षा जिम्मेदारी में शामिल करता है — श्रम-सुधार संहिताओं (Code on Social Security 2020) की भावना को कोष-आधारित तंत्र देना।

NPS-अनुभव से सीख: परिभाषित-अंशदान की चर्चा NPS के साथ चलती रही; TRS + लचीली निकासी + EPFO-ब्याज मॉडल 'सरकारी-प्रतिभूति समर्थित संचय' का मिश्रित मार्ग है — बाजार-जोखिम और गारंटी-माँग के बीच संतुलन की कोशिश।

तकनीकी क्षमता पूर्व-शर्त: 123 डेटाबेस का विलय (EPFO 2.0) दिखाता है कि पैमाने की तैयारी तकनीक से शुरू हुई — CBS पर 60 करोड़ खाते चलाना भारत की सबसे बड़ी वित्तीय-तकनीक चुनौतियों में होगा।

विश्लेषण और आगे की राह

तीन खुले प्रश्न। पहला, वित्तीय व्यवहार्यता: निम्न-आय श्रमिकों के लिए सरकारी सह-अंशदान का आकार और स्रोत तय नहीं — बिना पर्याप्त सह-अंशदान के असंगठित श्रमिक का अनियमित आय से नियमित अंशदान कठिन; अटल पेंशन योजना के अनुभव से जुड़ाव और दुहराव का प्रश्न भी। दूसरा, एन्युटी-जोखिम: 60 पर रूपांतरण उस समय की एन्युटी दरों पर निर्भर — दीर्घकालिक निम्न दरों में पेंशन-पर्याप्तता (adequacy) संकट में रहेगी; लचीली निकासी दीर्घजीविता-जोखिम (longevity risk) भी लाती है। तीसरा, प्रशासनिक अधिभार: एग्रीगेटर-अंशदान के लिए प्लेटफॉर्म-अर्थव्यवस्था की पंजीकरण-शृंखला, e-Shram डेटाबेस से जुड़ाव और भुगतान-रेल तैयार करनी होगी। निगरानी संकेतक: संकल्पना-नोट से अधिसूचना तक की प्रगति, सह-अंशदान का बजटीय प्रावधान, पायलट-कवरेज संख्या, CBT की अगली बैठक के निर्णय।

अवधारणा में अंतर

प्रस्ताव-चरण बनाम लागू योजना: जुलाई-सितंबर 2026 की रिपोर्टें डिज़ाइन-चरण की योजना बताती हैं — 17 अक्टूबर 2026 की जाँच तक अधिसूचना/आधिकारिक योजना-दस्तावेज़ उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिला; अंतिम स्थिति हेतु श्रम मंत्रालय/EPFO की आधिकारिक घोषणा ही प्रमाण मानें। EPS बनाम प्रस्तावित योजना: EPS परिभाषित-लाभ (वेतन+सेवा-आधारित मासिक पेंशन) है; प्रस्ताव परिभाषित-अंशदान (TRS-कोष से एन्युटी/SWP) — दोनों के लाभ-गणित और जोखिम अलग। EPFO 3.0 पेंशन-प्रस्ताव बनाम ₹25,000 वेतन-सीमा अधिसूचना (सितंबर 2026): वेतन-सीमा मौजूदा EPF/EPS कवरेज का विस्तार है (लागू); यूनिवर्सल पेंशन नई संरचना है (प्रस्तावित) — दो अलग घटनाएँ।

मेंस दृष्टि

GS-II: सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य, असंगठित क्षेत्र नीति। GS-III: श्रम-सुधार, गिग-अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, पेंशन-सुधार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा। GS-IV: सामाजिक न्याय, वृद्ध-सुरक्षा की नैतिकता। निबंध: काम से सम्मान तक — सुरक्षा का अधिकार।

पेंशन से जुड़ा एक और विश्लेषण समझने के लिए पढ़ें: पेंशन 'एहसान' नहीं, अधिकार: भिखानी देवी निर्णय।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

EPFO 3.0 का प्रस्तावित यूनिवर्सल पेंशन ढाँचा 'परिभाषित अंशदान' और 'बहु-स्रोत वित्त' पर आधारित है। असंगठित और गिग श्रमिकों की वृद्धावस्था-सुरक्षा के संदर्भ में इस प्रस्ताव की संभावनाओं और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: EPFO 3.0 (जुलाई 2026 रिपोर्ट; प्रस्ताव-चरण): 60 करोड़ श्रमिक, 3/4 असंगठित।

मुख्य भाग में: संभावनाएँ: TRS-लक्ष्यनिर्धारण; बहु-स्रोत अंशदान (सरकारी सह-अंशदान, एग्रीगेटर, CSR); EPS-बाहर सम्मिलन; EPFO 2.0 की तकनीकी नींव; लचीली निकासी। सीमाएँ: सह-अंशदान का आकार अनिर्धारित, अनियमित आय से नियमित अंशदान कठिन, एन्युटी-दर जोखिम, दीर्घजीविता-जोखिम, प्रशासनिक अधिभार, APY से दुहराव।

निष्कर्ष में: वृद्धावस्था-सुरक्षा के विस्तार की संभावना को वित्तीय व्यवहार्यता, नियमित अंशदान और पेंशन-पर्याप्तता से परखें। सह-अंशदान, एन्युटी तथा दीर्घजीविता-जोखिम और APY से दुहराव स्पष्ट रखें; प्रेस में वर्णित प्रस्ताव को अधिसूचित या लागू योजना न लिखें।

स्रोत

- PIB: 238वीं CBT बैठक — EPFO 3.0 डिजिटल-परिवर्तन ढाँचा स्वीकृत (13 अक्टूबर 2025, आधिकारिक)
- Indian Express: EPFO reform — Government works on new pension plan for all (18 जुलाई 2026, रिपोर्ट)
- Indian Express Explained: What EPFO 3.0 proposes (21 जुलाई 2026)
- Business Standard: Universal pension scheme — Labour ministry eyes flexible payouts (7 सितंबर 2026)

जाँच-टिप्पणी: यह योजना प्रस्ताव-चरण में है। डिज़ाइन-विवरण (TRS, लचीली निकासी, बहु-स्रोत अंशदान, एन्युटी/SWP) वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से IE (18/21 जुलाई 2026) और BS (7 सितंबर 2026) की रिपोर्टिंग पर आधारित — BS के अनुसार मंत्रालय ने प्रेस-समय तक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। 17 अक्टूबर 2026 की सीमित जाँच में जाँचे गए स्रोतों में योजना की

आधिकारिक अधिसूचना/दस्तावेज़ का प्रमाण नहीं मिला; अंतिम स्थिति हेतु श्रम मंत्रालय/EPFO/PIB की आधिकारिक घोषणा ही प्रमाण मानें। आधिकारिक आधार: 238वीं CBT (PIB, 13 अक्टूबर 2025)।

यह भी पढ़ें: EPFO की बढ़ी वेतन-सीमा: सामाजिक सुरक्षा का विस्तार।

याद रखें: TRS-आधारित यूनिवर्सल पेंशन अभी ड्रॉइंग-बोर्ड पर है — दिशा 60 करोड़ श्रमिकों की सुरक्षा की ओर ऐतिहासिक है, पर अधिसूचना आने तक हर विवरण 'प्रस्तावित' ही मानें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: EPFO 3.0 का यूनिवर्सल पेंशन विचार अंशदायी पेंशन का प्रस्ताव है। लेख इसे लागू योजना नहीं, प्रस्ताव-चरण की व्यवस्था बताता है।

प्रश्न: क्या EPFO की यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू हो चुकी है?

लेख के अनुसार यह प्रस्ताव-चरण की योजना है, लागू योजना नहीं। संकल्पना-नोट तैयार है और विस्तृत ढाँचे पर काम चल रहा है।

प्रश्न: प्रस्तावित पेंशन योजना किन श्रमिकों तक पहुँचना चाहती है?

इसका प्रस्ताव औपचारिक और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक पहुँच भी इसमें शामिल है।

प्रश्न: EPFO 3.0 के तकनीकी और पेंशन विकल्प क्या बताए गए हैं?

पेंशन-कवर में एन्युटी या सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल विकल्प का उल्लेख है। तकनीकी उन्नयन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर आधारित बताया गया है।

PCS MANTRA